

28 मार्च, 2017 को आयोजित की जाने वाली एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की 76वीं बैठक के लिए एजेंडा मदों की विस्तृत सूची

क्र. सं.	मामलों की श्रेणी	क्षेत्र	कुल
76.1	विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव		4
	(i) मैसर्स राज बिल्ड इंफ्रा एलएलपी	एसईईपीजेड	
	(ii) मैसर्स मेट्रो इन्फोसिटी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जमींदार रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स लाव्या रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त रूप से)	एनएसईजेड	
	(iii) मैसर्स वेंकटेश कोक एंड पावर लिमिटेड	एमईपीजेड	
	(iv) मैसर्स फीनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मैग्नम आईटी सोसाइटी को सह विकासक का दर्जा	वीएसईजेड	
76.2	सह विकासक के लिए अनुरोध		14
	(i) मैसर्स अशिया टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	एनएसईजेड	
	(ii) मैसर्स रुद्रदेव प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	एनएसईजेड	
	(iii) मैसर्स भटे एंड राजे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	एसईईपीजेड	
	(iv) मैसर्स अशिया लाइफस्टाइल लिमिटेड	एसईईपीजेड	
	(v) मैसर्स ज़ाफ़िन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	सीएसईजेड	
	(vi) मैसर्स जेल आईटी सोसाइटी	वीएसईजेड	
	(vii) मैसर्स ओरीक्स आईटी सोसाइटी	वीएसईजेड	
	(viii) मैसर्स नेक्टर आईटी सोसाइटी	वीएसईजेड	
	(ix) मैसर्स अकॉर्ड आईटी सोसाइटी	वीएसईजेड	
	(x) मैसर्स फॉर्च्यून आईटी सोसाइटी	वीएसईजेड	
	(xi) मैसर्स स्पेक्ट्रम आईटी सोसाइटी	वीएसईजेड	
	(xii) मैसर्स स्टेलर आईटी सोसाइटी	वीएसईजेड	
	(xiii) मैसर्स साइबर सिटी इन्फोपार्क	वीएसईजेड	
	(xiv) मैसर्स ओमिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	वीएसईजेड	
76.3	शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव		2
	(i) मैसर्स मरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एमआईडीपीएल)	एमईपीजेड	
	(ii) मैसर्स एकसीरेटिव हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एनएसईजेड	
76.4	विविध मामले		1
	(i) मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड - न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के निर्माण के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए	एनएसईजेड	
	कुल		21

28 मार्च, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली
अनुमोदन बोर्ड की 76वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 76.1 : नए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए (4 प्रस्ताव)

(i) ग्राम टलोई, तालुक भिवंडी, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 300 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स राज बिल्ड इनफ्रा एलएलपी का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(i)	मैसर्स राज बिल्ड इंफ्रा एलएलपी	ग्राम टलोई, तालुक भिवंडी, जिला थाणे, महाराष्ट्र	एफटीडब्ल्यूजेड	300	केवल भूमि के कुछ अंश पर कब्जा है	हां* (सैद्धांतिक अनुमोदन)

*इस शर्त के अधीन कि भूमि का अधिग्रहण करते समय तथा भारत सरकार से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने से पूर्व विकासक विभिन्न अधिनियमों / नियमावतियों / विनियमों के तहत राज्य सरकार की कानूनी आवश्यकताओं तथा भारत सरकार के एसईजेड के संबंध में प्रचलित दिशानिर्देशों सहित भूमि तथा अन्य संबंधित मामलों के संबंध में आदेशों का पालन करेगा।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम बहरामपुर एवं बनोला, तहसील सोहना, जिला गुडगांव, हरियाणा में 10.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड संयुक्त रूप से स्थापित करने के लिए मैसर्स मेट्रो इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जमीदार रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स लाव्या रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(ii)	मैसर्स मेट्रो इनफोसिटी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स जमीदार रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स लाव्या रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (संयुक्त रूप से)	ग्राम बहरामपुर एवं बनोला, तहसील सोहना, जिला गुडगांव, हरियाणा	आईटी / आईटीईएस	4.11 हेक्टेयर (एमआईपीएल) 2.98 हेक्टेयर (जीआरपीएल) 3.02 हेक्टेयर (एलआरपीएल) कुल 10.11 हेक्टेयर	भूमि संस्पर्शी नहीं है	हां (20 जनवरी, 2017)

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने इस शर्त के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है कि विकासक एसईजेड अधिनियम के प्रावधानों के तहत एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करेंगे।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम अतिपट्ट, नांदियांबक्कम और पुलुडीवक्कम, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 46.71 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वेंकटेश कोक एंड पावर लिमिटेड का अनुरोध

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(iii)	मैसर्स वेंकटेश कोक एंड पावर लिमिटेड	अटिपट्ट, नांदियामबक्कम एवं पुलुदिवक्कम गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु	एफटीड ब्ल्यूजेड	46.71	हां (तथापि भूमि की सन्निकटता पर नीचे चर्चा की गई है)	हां (06 मार्च, 2017)

जहां तक भूमि के संस्पर्शी होने का संबंध है, आवेदक द्वारा निम्नलिखित मुद्दों का निराकरण भी किया गया है:

- (क) साइट में हाईटेंशन ईबी टावर के अस्तित्व के लिए - औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद साइट का विकास करते समय इसे शिफ्ट करने का वचन दिया गया है। 9 अप्रैल 2010 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के संदर्भ में छूट प्रदान करने की मांग की गई है (भूमि पर विद्युत पारोषण लाइन की मौजूदगी को सन्निकटता की आवश्यकता को प्रभावित करने वाला न माना जाए); और
- (ख) अन्य भूस्वामियों के लिए संपर्क सड़क, नहर तथा कार्ट पथ के संबंध में - कंसल्टिंग इंजीनियर अर्थात् मैसर्स महिंद्रा कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के सुझाव के अनुसार अन्य भूस्वामियों को संपर्क सड़क, सन्निकटता के प्रयोजनार्थ नहर पर टिपिकल क्रॉस सेक्शन तथा कार्ट पथ पर फेंसिंग एवं गेट के माध्यम से उपशमन के उपायों का प्रस्ताव किया गया है। एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 7 (2) तथा अनुदेश संख्या 27 में दिए गए दिशानिर्देशों के तहत मांगी गई छूट

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) सर्वे नंबर 35/पार्ट और 36, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में 2.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए और एसईजेड में मैसर्स मैगनम आईटी सोसाइटी को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स फिनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(क)

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	राज्य सरकार की सिफारिश
(ii)	मैसर्स फिनिक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नंबर 35/भाग और 36, गचिबाउली गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना	आईटी / आईटीईएस	2.89	हां	प्रतीक्षा है

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सरकार की सिफारिश के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ख) मैसर्स मैग्नाम आईटी सोसाइटी ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक 3,72,500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 21 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 112 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने इस शर्त के तहत प्रस्ताव की सिफारिश की है कि एसईजेड अनुमोदित एवं अधिसूचित हो।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 76.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध (14 प्रस्ताव)

(i) ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अर्शिया नार्दन एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्शिया टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

51.4394 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अर्शिया टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 51840 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 5 वेयरहाउस के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 9 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अर्शिया नार्दन एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रुद्रदेव प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

51.4394 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स रुद्रदेव प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में 31104 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में 3 मौजूदा वेयरहाउस (वेयरहाउस नंबर 52, 53 और 54) के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 9 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने आवेदक कंपनी द्वारा टिप्पणियों के अनुपालन के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, फेज 3, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स भाटे और राजे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

223.56 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स भाटे एंड राजे कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में 7293 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए भवनों तथा संबद्ध अवसंरचना के निर्माण, आईटी / आईटीईएस यूनिटों के लिए स्थान के विकास तथा सभी डिफाल्ट रूप में अधिकृत प्रचालन के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 20 जुलाई, 2016 उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) ग्राम साईं, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में मैसर्स अर्शिया लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्शिया लाइफ स्टाइल लिमिटेड का अनुरोध

57.045 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अर्शिया लाइफ स्टाइल लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कंपनी एफटीडब्ल्यूजेड में 5 वेयरहाउस के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के क्षेत्र में कदम रख रही है तथा इस समय एग्जिम कार्गो के भंडारण के लिए उनके नए वेयरहाउस के निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए विकासक के साथ करार किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 9 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) अट्टिप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम, में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जफीन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

19.45.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स ज़ाफिन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने आईटी सेक्टर के उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने एक एकड़ के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 23 फरवरी, 2017 उपलब्ध कराया गया है। अंतिम पट्टा करार उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 31.08 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) ग्राम ननक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जेल आईटी सोसाइटी का अनुरोध

3.95 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स जेल आईटी सोसाइटी ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक 6,55,600 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 21 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 200 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) ग्राम ननक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ओरिक्स आईटी सोसाइटी का अनुरोध

3.95 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स ओरिक्स आईटी सोसाइटी ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक 1,92,500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 21 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 60 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) ग्राम ननक्रामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स नेक्टर आईटी सोसाइटी का अनुरोध

2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स नेक्टर आईटी सोसाइटी ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक 3,48,000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 21 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 104 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) सर्वे नंबर 203, ग्राम मणिकोंडा जागीर, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स एंबेसी टेक जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अकार्ड आईटी सोसाइटी का अनुरोध

2.02 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अकार्ड आईटी सोसाइटी ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक 5,28,400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 21 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 160 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(x) सर्वे नंबर 286 और 287, ग्राम पुप्पालागुडा, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स फार्च्यून आईटी सोसाइटी का अनुरोध

3.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 मार्च, 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 75वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

मैसर्स फार्च्यून आईटी सोसाइटी ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक 2,13,750 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 21 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 65 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एसईजेड की अधिसूचना के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xi) सर्वे नंबर 285, ग्राम पुप्पालागुडा, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्पेक्ट्रम आईटी सोसाइटी का अनुरोध

2.63 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 मार्च, 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 75वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

मैसर्स स्पेक्ट्रम आईटी सोसाइटी ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक 1,62,500 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 21 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 50 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एसईजेड की अधिसूचना के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xii) सर्वे नंबर 53 / पैकी / भाग, ग्राम गचिबाउली, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्टेलर आईटी सोसाइटी का अनुरोध

2.59 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 मार्च, 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 75वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

मैसर्स स्टेलर आईटी सोसाइटी ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक 1,10,000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 21 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 33 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एसईजेड की अधिसूचना के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xiii) सर्वे नंबर 53 / पैकी / भाग, ग्राम गचिबाउली, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स आईटी सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स साइबर सिटी इंपोपार्क का अनुरोध

2.59 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 मार्च, 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 75वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

मैसर्स साइबरिटी इन्फोपार्क ने उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित सह विकासक प्लग एंड प्ले परिवेश का सृजन करने के लिए आवंटित निर्मित क्षेत्र के उन्नयन में निवेश करेगा। इसके अलावा सह विकासक 2,64,0000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में निर्मित क्षेत्र का प्रचालन एवं अनुरक्षण भी करेगा।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 21 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 80 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एसईजेड की अधिसूचना के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xiv) अमीनपुर गांव, पाटनचेरू मंडल, मेडक जिला, तेलंगाना में मैसर्स फिनिक्स लिविंग स्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ओमिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

5.67 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 7 दिसंबर, 2016 को औपचारिक अनुमोदन किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है।

मैसर्स एकाॅर्ड आईटी सोसाइटी ने 250000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में कार्यालय तल, कॉलम स्पेस, दीवारों, पेरीमीटर ग्लास / दीवार, ग्राउंड एवं फ्लोर लॉबी, शौचालय क्षेत्र तथा अन्य समर्पित क्षेत्रों या सेवाओं अथवा सुविधाओं के लिए समर्पित क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव किया है तथा इसमें सीढ़ी, लिफ्ट, सभी वर्टिकल शाफ्ट तथा कार पार्किंग स्लाट शामिल नहीं होंगे।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 23 मार्च, 2017 उपलब्ध कराया गया है। एसईजेड में सह विकासक द्वारा निवेश के लिए प्रस्तावित राशि 128.35 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एसईजेड की अधिसूचना के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 76.3 : शेर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के मामले (2 प्रस्ताव)

भारत में व्यवसाय करने की सरलता बढ़ाने की दृष्टि से और यह कि संस्था / व्यवसाय का पुनर्गठन बहुत आम प्रथा है, 23 फरवरी 2006 को आयोजित अपनी 69वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि नियम 74ए के प्रावधान एसईजेड की ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होंगे जो दूसरे व्यक्ति को अपनी परिसंपत्तियों एवं देयताओं का हस्तांतरण करके एसईजेड स्कीम से बाहर नहीं निकलती हैं या निकलने का विकल्प चुनती हैं तथा एसईजेड यूनिट उपर्युक्त स्थिति में सतत सरोकार के रूप में प्रचालन करना जारी रखती हैं। संबंधित यूनिट अनुमोदन समिति एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19(2) के तहत ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।

जहां तक व्यवसाय अंतरण करार का संबंध है, स्पष्ट किया गया कि व्यवसाय अंतरण करार के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर कुछ अधिग्रहण होते हैं जो अधिग्रहणकर्ता को सतत सरोकार आधार पर भारतीय कंपनी की एसईजेड यूनिट के अंतरण में परिणत होता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि स्वामित्व परिवर्तन करने

वाले ऐसे मामलों पर निर्णय मामला दर मामला आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर लिया जाएगा।

(i) मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 97 प्रतिशत इक्विटी शेयरों तथा मैसर्स टिडको को शेष इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए मैसर्स मरीन इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एमआईडीपीएल) जो कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

8 मार्च, 2017 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 75वीं बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव रखा गया था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया क्योंकि प्रस्ताव की जांच करने के लिए डीजीईपी को और समय की आवश्यकता थी।

मैसर्स मरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर प्राइवेट लिमिटेड को 12 जुलाई, 2016 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था।

अब सह विकासक ने पत्र दिनांक 29 फरवरी 2016 के माध्यम से तमिलनाडु सरकार से प्राप्त अनुमति के अनुसरण में मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को 97 प्रतिशत तथा मैसर्स टिडको को शेष 3 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया है। उद्योग विभाग, तमिलनाडु सरकार ने उपर्युक्त आदेश दिनांक 29 फरवरी 2016 के माध्यम से निम्नलिखित आधार पर सहमति प्रदान की है :

"एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड के पत्तन व्यवसाय के डिमर्जर तथा डिमर्ज्ड संस्था ने प्रस्तावित शेयर होल्डिंग पैटर्न अर्थात एलएंडटी द्वारा 97 प्रतिशत और टिडको द्वारा 3 प्रतिशत तथा मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड द्वारा एलएंडटी लिमिटेड की संपूर्ण शेयर होल्डिंग की खरीदारी के माध्यम से पत्तन व्यवसाय के लिए नई कंपनी ने सामरिक साझेदार अर्थात मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को लाने के लिए एलएंडटी लिमिटेड के प्रस्ताव के लिए इस शर्त के अधीन सरकार की मंजूरी प्रदान की जाती है कि टिडको के इक्विटी निवेश के वर्तमान मूल्य का पूर्णतः संरक्षण किया जाएगा तथा टिडको नई पोर्ट कंपनी की इक्विटी में निवेश करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स एक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जिसकी एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार में विभिन्न एसईजेड में तीन मौजूदा यूनिटें हैं, का अनुरोध

यूनिट ने कंपनी का नाम "मैसर्स एक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड" से बदलकर "आर1 आरसीएम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड" करने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस संबंध में यूनिट ने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे :

(1) कंपनी का नाम "मैसर्स एक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड" से बदलकर "आर1 आरसीएम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड" करने के अनुसरण में निगमन प्रमाण पत्र की प्रति जो 7 फरवरी 2017 को कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली द्वारा जारी किया गया है।

(i) आर1 आरसीएम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम में प्रस्तुत कंपनी के एमएंडओए की प्रति।

(ii) पैन कार्ड तथा टीईसी में नाम में परिवर्तन के लिए दाखिल किए गए आवेदन की पावती की प्रति।

(iii) बोर्ड का संकल्प दिनांक 31 जनवरी 2017 जिसमें कंपनी के नाम में परिवर्तन के बारे में निर्णय लिया गया है।

निदेशकों में परिवर्तन का ब्यौरा जो इस प्रकार है :

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री दिवस चावला	1. श्री क्रिस्टोफर सिमोन रिकार्ट
2. श्री जोसेफ गेरार्ड फलानागन	2. श्री अभिजीत कमलाकर पवार
3. श्री क्रिस्टोफर सिमोन रिकार्ट	3. श्री प्रानिल वडगामा

(vi) 9 अप्रैल 2009 से 28 फरवरी 2017 तक कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न का समेकित ब्यौरा (समय समय पर परिवर्तनों के साथ) जो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित है और सनदी लेखाकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है, नीचे दिया गया है :

	तिथि जब परिवर्तन हुआ						
शेयरों की संख्या	9 अप्रैल, 2009	22 फरवरी, 2010	9 अप्रैल, 2014	16 दिसंबर, 2014	28 जून, 2016	31 जनवरी, 2017	28 फरवरी, 2017
9900	अशीन स्वयं	एक्करेटिव मॉरीशस, इंक	एक्करेटिव मॉरीशस, इंक	एक्करेटिव मॉरीशस, इंक	एक्करेटिव मॉरीशस, इंक	एक्करेटिव मॉरीशस, इंक*	एक्करेटिव मॉरीशस, इंक*
100	अमित कालरा	जॉन स्टेशन#	सियन ओरा	पीटर स्कापो#	क्रिस्टोफर सिमोन रिकार्ट#	क्रिस्टोफर सिमोन रिकार्ट#	क्रिस्टोफर सिमोन रिकार्ट#
10000 (कुल शेयर)							

एक्करेटिव मॉरीशस, इंक का 1 नामिती शेयर धारक

*एक्करेटिव मॉरीशस, इंक के नामिती शेयर धारक के रूप में रोवर 16 इंक द्वारा धारित 1 शेयर सहित।

तथापि, एनएसईजेड द्वारा बताया गया है कि यूनिट द्वारा अब प्रस्तुत किए गए शेयर होल्डिंग के उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार एलओए नंबर एसटीपी1/एसईजेड/ यूनिट/03/34/137 दिनांक 9 अप्रैल 2009 (गुडगांव इनफोस्पेस लिमिटेड एसईजेड, गुडगांव में यूनिट) के संबंध में 9 अप्रैल 2009 से 22 फरवरी 2010 की अवधि के दौरान शेयर होल्डिंग में 100 प्रतिशत परिवर्तन है। इसके अलावा सभी तीन एलओए के संबंध में 22 फरवरी 2010 से 31 जनवरी 2017 की अवधि के दौरान शेयर होल्डिंग में मामूली परिवर्तन है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सिफारिश की है कि यूनिट की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन जो वर्ष 2010 में 50 प्रतिशत से अधिक था, को 8 मार्च 2017 को आयोजित होने वाली अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचारार्थ रखा जाए।

उल्लेखनीय है कि यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई है, हालांकि यूनिटों की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन हुए थे।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 76 : विविध मामले (1 प्रस्ताव)

(i) प्लॉट नंबर टीजेड-06, सेक्टर टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के निर्माण की समय सीमा बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड को 29 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया। एसईजेड मार्च 22 अप्रैल, 2014 से क्रियाशील है। इस समय एसईजेड में दो यूनिटें अर्थात (1) विद्या मंत्र एजुसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और (2) हनु साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड प्रचालन कर रही हैं।

अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को विकासक को इस आशय का नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया कि मंजूरी पत्र को क्यों न निरस्त किया जाए तथा एसईजेड को क्यों न विमुक्त किया जाए। इसके बाद, विकास आयुक्त, एनएसईजेड अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ नया प्रस्ताव लाएंगे।

9 नवंबर, 2016 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 73वीं बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव रखा गया था। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) के अनुसार, विकासक या सह विकासक को एसईजेड की अधिसूचना की तिथि से 10 साल की अवधि के अंदर न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (100000 वर्गमीटर) का निर्माण करना होगा जिसमें ऐसे क्षेत्र का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्माण अधिसूचना की तिथि से 5 साल की अवधि के अंदर करना होगा। वर्तमान मामले में एसईजेड की अधिसूचना के बाद 10 साल की अवधि 28 अगस्त 2016 को समाप्त हो चुकी है तथा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 15000 वर्गमीटर (165000 वर्गफीट) के निर्मित क्षेत्र का निर्माण किया गया है। तथापि, 10 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी विकासक ने 50 प्रतिशत निर्माण पूरा नहीं किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड को नोटिस दिनांक 2 जनवरी 2017 जारी किया गया जिसमें विकासक से यह बताने के लिए कहा गया कि टेकजोन, ग्रेटर नोएडा में क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए दिनांक 7 अप्रैल 2006 को क्यों न निरस्त किया जाए और एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) का उनकी ओर से पालन करने में विफलता के लिए एसईजेड को क्यों न विमुक्त किया जाए, जिसकी वजह से एलओए की शर्तों एवं नियमों का अनुपालन नहीं हुआ है।

बदले में विकासक ने अपना विस्तृत जवाब दिनांक 18 जनवरी 2017 और परवर्ती पत्र दिनांक 3 मार्च 2017 प्रस्तुत किया जिसमें परियोजना को पूरा न करने के कारणों का उल्लेख किया गया तथा क्षेत्रवार किए गए निवेश एवं प्रक्षेपित निवेश, निधियन के स्रोत तथा विकास आयुक्त द्वारा विकासक को 13 फरवरी 2017 को प्रदान की गई समय सीमा का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। उपर्युक्त दो पत्रों में विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का सारांश इस प्रकार है :

- प्लॉट नंबर टीजेड-06 का पंजीकरण 10 फरवरी 2006 को हुआ तथा एसईजेड 29 अगस्त 2006 को अधिसूचित किया गया। तथापि, यूपीएसईजेड (संशोधित) नीति 2007 के कारण यूपीएसईजेड नीति 2007 के अनुसार एसईजेड के रूप में आईटी प्लॉट के विकास के लिए विशेष रूप से निर्धारित भूमि प्रयोग के संबंध में 11 फरवरी 2009 को संशोधित पट्टा विलेख निष्पादित किया गया। जीएनआईडीए द्वारा उपर्युक्त प्लॉट के लिए लेआउट प्लान 5 अप्रैल 2013 को अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार तथा जीएनआईडीए द्वारा एसईजेड प्लॉट के रूप में प्लॉट की मान्यता को ध्यान में रखते हुए एसईजेड नियम 5 (7) का अनुपालन संशोधित विलेख के निष्पादन की तिथि से अर्थात 11 फरवरी 2009 से लागू होना चाहिए।
- लोकेशन के बहुत दूर होने, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पूर्णतः अभाव होने तथा भारी मंडी के कारण एनसीआर / भारत में आईटी उद्योग का विकास एवं विस्तार प्रभावित हुआ जिससे 2009-11 के दौरान उनकी एसईजेड परियोजना के विकास की योजनाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। वाणिज्य विभाग ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 5 (7) के अनुसरण में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के निर्माण के लिए

उन्हें 28 अगस्त 2016 तक का समय प्रदान किया था। लोकेशन के बहुत दूर स्थित होने तथा परिवहन की कोई व्यवस्था न होने और अपराध प्रवण क्षेत्र होने के बावजूद उन्होंने प्लाट के संपूर्ण क्षेत्रफल का विकास किया और 2013 में सिग्नेचर टावर का निर्माण पूरा किया जिसका निर्मित क्षेत्र 15000 वर्गमीटर है। इसके अलावा वे 2018 के मध्य तक सिग्नेचर टावर में मोटे तौर पर 10000 वर्गमीटर के 3 अतिरिक्त फ्लोर का विकास करना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने एफ1 से 20 करोड़ रुपए के मियादी ऋण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है तथा अप्रैल 2017 तक इस ऋण के संस्वीकृत हो जाने की उम्मीद है।

- किसानों के आंदोलन तथा उस पर माननीय न्यायालय के स्टे / वैकेशन आर्डर जिसकी वजह से परियोजना लगभग दो साल तक विलंबित हुई, को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अक्टूबर 2011 से 24 अगस्त 2012 की अवधि को 'शून्य अवधि' के रूप में घोषित किया।
- मैसर्स अर्थ आयाकॉनिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जिसे प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 50000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र का निर्माण करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने किसी क्षेत्र का निर्माण नहीं किया है और इस प्रकार 3 साल की अवधि बीत जाने पर भी न्यूनतम निर्मित क्षेत्र का निर्माण नहीं हो सका है। एसईजेड नियमावली के उल्लंघन के लिए सह विकासक के विरुद्ध गंभीर शिकायतें हैं तथा जीएनआईडीए ने उनको नोट किया है। सह विकासक की ओर से इस विफलता और एसईजेड नियमावली के गैर अनुपालन ने भी वाणिज्य विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन न कर पाने में योगदान दिया है। इस सह विकासक द्वारा किए गए विभिन्न चूकों के कारण इस सह विकासक के साथ निष्पादित त्रिपक्षीय उप पट्टा विलेख निरसन के अधीन है।
- अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार उन्होंने 1,61,400 वर्गफीट (15000 वर्गमीटर) के निर्मित क्षेत्र का निर्माण कर लिया है तथा अब तक केवल 17500 वर्गफीट का क्षेत्र पट्टा पर दिया गया है। अप्रैल 2014 से शेष 143900 वर्गफीट का क्षेत्रफल खाली पड़ा है।
- एसईजेड से दो आईटी यूनितें अर्थात हनु साफ्टवेयर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड तथा विद्या मंत्र एजुसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही हैं तथा मैसर्स एल्गोलोग सिस्टम्स नामक एक अन्य यूनित भी 2000 वर्गमीटर के प्लाट का विकास करने की प्रक्रिया में है।
- 2017 के अंत तक नोएडा से ग्रेटर नोएडा होते हुए परी चौक तक प्रस्तावित मेट्रो सेवा से और आईटी कंपनियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी जिससे वे खाली क्षेत्र को पट्टा पर दे सकेंगे। उनकी विपणन टीम संभावित आईटी कंपनियों को स्पेस पट्टा पर देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
- वाणिज्य विभाग द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने पर वे दिसंबर 2019 तक फेज 1 में 35000 वर्गमीटर का निर्माण पूरा करेंगे। यह भी बताया गया है कि मैसर्स अर्थ आइकॉनिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में उप पट्टा पर दिया गया 36227.15 वर्गमीटर का क्षेत्रफल सह विकासक के साथ उप पट्टा के निरसन के लिए उनके आवेदन जो प्रक्रियाधीन है, के अनुसार जीएनआईडीए द्वारा वापस किया जा सकता है। वे दूसरे फेज के निर्माण को पूरा करने के लिए नया सह विकासक तैनात करेंगे।
- उन्होंने 31 जनवरी 2017 तक की स्थिति के अनुसार 134.43 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें भूमि पट्टा प्रीमियम में 31.89 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।
- नियम 5 (7) के तहत निर्मित किए जाने के लिए अपेक्षित 85000 वर्गमीटर के शेष क्षेत्र का निर्माण दो

चरणों में करने का प्रस्ताव है - पहले चरण को दिसंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा दूसरा चरण मार्च 2022 तक पूरा हो सकता है। निर्माण की 160 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का वित्त पोषण एफ1 से मियादी ऋण, प्रमोटर्स के अंशदान तथा खाली निर्मित क्षेत्र / प्लॉट को पट्टा पर देकर आंतरिक परियोजना प्रोद्भवन के माध्यम से जुटाया जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने 100000 वर्गमीटर के न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के पूरा न होने के लिए कारण, किए गए निवेश का ब्यौरा, अनुमानित निवेश, निधियन के स्रोत तथा अपेक्षित न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के निर्माण के लिए अनंतिम समय सूची प्रदान की है। 100000 वर्गमीटर के न्यूनतम निर्मित क्षेत्र जिसे 50000 वर्गमीटर के दो चरणों में निर्मित कराने का प्रस्ताव, का निर्माण पूरा करने के लिए विकासक द्वारा प्रदान की गई समय सीमा इस प्रकार है :

प्रथम चरण : विकासक ने चरण 1 के 15000 वर्गमीटर का निर्माण कर लिया है तथा शेष 35000 वर्गमीटर को दिसंबर 2019 तक निर्मित करने का प्रस्ताव है।

दूसरा चरण : विकासक (अंसल आईटी सिटी) द्वारा या नए सह विकासक द्वारा मार्च 2022 तक 50000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र का निर्माण तभी करने का प्रस्ताव किया गया है जब मैसर्स अर्थ आयकॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में पट्टा पर दी गई भूमि विकासक को वापस सौंपी जाएगी।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने निम्नलिखित की सिफारिश की है :

- (i) यदि 50 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हुआ है तो 5 साल बाद, और यदि 100 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हुआ है तो 10 साल बाद वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के लिए एसईजेड नियमावली में उपयुक्त प्रावधान शामिल किया जा सकता है।
- (ii) ऐसे समर्थकारी प्रावधान के बाद इस अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।
